उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-4/2021/आडिट-1-41/दस-2021-320(4)/2018
लखनऊ : दिनांक 22 जनवरी, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अन्तर्गत नव नियुक्त जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण पर रहने के दृष्टिगत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 12.01.2021 के क्रम में निम्नलिखित उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारियों को जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि तक उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में उल्लिखित पद का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने का श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष आदेश प्रदान किया जाता है।

क्र0	अधिकारी का नाम/पदनाम/वर्तमान तैनाती	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहारनपुर मण्डल। (अतिरिक्त प्रभार मेरठ मण्डल)	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2.	श्री राकेश कुमार सिंह, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, अलीगढ़ मण्डल।	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, मथुरा, फिरोजाबाद।
3.	श्री अशोक कुमार, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, झांसी।	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, ललितपुर।

2- जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में पद में निहित समस्त कर्तव्यों/ दायित्वों का प्रभार सम्मिलित होगा तथा उपरोक्त अधिकारियों को उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

समीर
विशेष सचिव।

संख्या-4/2021/आडिट-1-41(1)/दस-2021, तद्दिनांक।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पे्रषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 को इस आशय से पे्रषित कि कृपया उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
4. सम्बन्धित उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0।
5. सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।